

॥ कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ॥

E-Mail ID: dmgarhwal@gmail.com / PHONE: 01368-222250/Fax: 222080

संख्या: 678/26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018, दिनांक पौडी

19, 2018

आदेश

उपजिलाधिकारी धुमाकोट ने अपने पत्र संख्या: 206/अहलमद- विविध/2017-18 दिनांक 13.12.2017 के द्वारा ग्राम मैखुली-देवराड़ी-कफलेख-चौण्डा-कदूरखाल मोटर मार्ग हेतु ग्राम चिलाऊ पल्ला पट्टी बूगी तहसील धुमाकोट की नॉन जेड0ए0 9(2) ख झाड़ी खसरा नं0 579 कुल रकवा 7.557 है0 मध्ये 6.156 है0 सिविल भूमि चयनित कर प्रस्तावित की गयी है।

2. शासनादेश संख्या: 2173/XVII (2)/2012-18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः जनपद गढ़वाल के अन्तर्गत मैखुली-देवराड़ी-कफलेख-चौण्डा-कदूरखाल मोटर मार्ग हेतु उपजिलाधिकारी धुमाकोट की आख्या एवं शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम चिलाऊ पल्ला पट्टी बूगी तहसील धुमाकोट की नॉन जेड0ए0 9(2) ख झाड़ी खसरा नं0 579 कुल रकवा 7.557 है0 मध्ये 6.156 है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार धुमाकोट तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)

जिलाधिकारी, गढ़वाल।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1- सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरो।
- 5- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, धुमाकोट।

(सुशील कुमार)

जिलाधिकारी, गढ़वाल।

R-17/18(RC)

R.K. Dhurmal

उप. आवश्यक कार्यवाही

को

THR(Dh)

20-1-18

रिपोर्ट,
R-6 का अंश 2018
विशेष,